कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरश: अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है । इसके अनुपालन से बैंक कारोबारी सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य विनियामकों एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम 2010

वर्ष (2010-11) के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह संशोधन भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम 2010 के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर 2010 से प्रभावी हुआ ।

बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹ 1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,000 करोड़ कर दी गई जिसमें भारत सरकार की न्यूनतम धारिता संदत्त पूँजी के 55 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दी गई।

धारा 19 (क) के अंतर्गत उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया जबकि धारा 19 (ख) के अंतर्गत निदेशकों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है। स्थानीय बोर्डों के अध्यक्षों को केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों का पद प्रदान करनेवाली धारा 19 (खख) समाप्त कर दी गई।

वैयक्तिक शेयरधारकों को नामांकन सुविधा प्रदान की गई है।

सात वर्षों से अधिक के असंदत्त अथवा दावारहित लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक महासभा में उपस्थित शेयरधारकों को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने और उनपर चर्चा करने का अधिकार है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं।

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल का निरीक्षण;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of corporate governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good corporate governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders. The objectives can be summarised as:

- To protect and enhance shareholder value.
- To protect the interest of all other stakeholders such as customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

The Bank is committed to:

- Ensuring that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership and insights in business and functional matters and monitors Bank's performance.
- Establishing a framework of strategic control and continuously reviewing its efficacy.
- Establishing clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Providing free access to the Board to all relevant information, advices and resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensuring that the Chairman has the responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Chairman and the Board of Directors are also guided by the SBI Act, 1955, with all relevant amendments.
- Ensuring that a senior executive is made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board, and reports deviations, if any.

The Bank has complied with the provisions of Corporate Governance as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange except where the provisions of Clause 49 are not in conformity with SBI Act, 1955 and the directives issued by RBI/GOI. A report on the implementation of these provisions of Corporate Governance in the Bank is furnished below.

State Bank of India (Amendment) Act 2010

State Bank of India Act 1955 was amended during the year (2010-11), vide State Bank of India (Amendment) Act, 2010, with effect from 15th September 2010. The salient Amendments with a bearing on Corporate Governance are as follows :

Bank's authorised Capital was increased from ₹ 1,000 crores to ₹ 5,000 crores with minimum shareholding of Govt. of India reduced from 55% to 51% of issued Capital.

While the post of Vice-Chairman, under section 19(a), was abolished, the number of Managing Directors, under section 19(b), was increased from two to four. Section 19(bb) providing for Presidents of Local Boards as Directors on the Central Board was deleted.

Nomination facility has been provided to Individual shareholders.

Transfer of unpaid or unclaimed dividend, beyond seven years, to Investor Education and Protection Fund has been provided for.

Shareholders present at an Annual General Meeting are entitled to discuss and adopt the Balance Sheet, P&L account, Report of the Central Board on the working and activities of the Bank and the auditors' report on the balance sheet and accounts.

Central Board : Role and Composition

State Bank of India was formed in 1955 by an Act of the Parliament, i.e., The State Bank of India Act, 1955 (Act). A Central Board of Directors was constituted according to the Act.

The Bank's Central Board draws its powers from and carries out its functions in compliance with the provisions of SBI Act & Regulations 1955. Its major roles include, among others,

- Overseeing the risk profile of the Bank;
- Monitoring the integrity of its business and control mechanisms;
- Ensuring expert management, and
- Maximising the interests of its stakeholders.

The Board is headed by the Chairman, appointed under section 19(a) of the SBI Act; four Managing Directors are also appointed members of the Board under section 19(b) of the SBI Act. The Chairman and Managing Directors are whole time Directors. As on 31st March 2011, apart from Whole time Directors, there were eight other directors on the Board

के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2011 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखाविधि, वित्त तथा अर्थशास्त्र जगत की शख्सियतों सहित कुल आठ अन्य निदेशक थे। अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक के अलावा 31 मार्च 2011 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक, तथा
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित एक निदेशक।

निदेशक मंडल का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है तथा बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 10 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 10 बैठकों की तिथियाँ : 14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.03.2011, 31.03.2011			
श्री ओ.पी.भट्ट, अध्यक्ष, श्री आर.श्रीधरन, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) और श्री एस. वेंकटाचलम, निदेशक सभी दस बैठकों में उपस्थित रहे। अन्य निदेशकों की उपस्थिति की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस.के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	5	4	14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	10	8	05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी	10	8	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011
श्री डी. सुंदरम	10	8	14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 31.3.2011
डॉ. देवा नन्द बलोधी (15.9.2010 तक)*	5	5	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)*	5	5	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा (24.2.2011 तक)	8	8	14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011
डॉ. राजीव कुमार	10	7	14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011
श्री अशोक चावला (31.1.2011 तक)	8	4	16.06.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011,
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	10	8	14.5.2010, 05.06.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.1.2011, 16.3.2011,31.3.2011
श्री जी. डी. नडाफ (4.11.2010 से)	5	5	08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011
श्री शशि कान्त शर्मा (18.2.2011 से)	2	1	16.3.2011

* भारत सरकार से 21.9.2010 को सूचना प्राप्त हुई।

including eminent professionals representing Technology, Accountancy, Finance and Economics.

The composition of the Board as on 31st March 2011, apart from Chairman and one Managing Director, was as under :

- four directors, elected by the shareholders under Section 19(c),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(cb),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(d),
- one director, nominated by the Central Government under Section 19(e), and
- one director, nominated by the Reserve Bank of India under Section 19(f).

The composition of the Board complies with provisions laid down in Clause 49 of the Listing Agreement.

A brief resume of each of the non-executive Directors is presented in Annexure I. Particulars of the directorships/memberships held by all the Directors in various Boards/Committees are presented in Annexure II and the details of their shareholding in the Bank are mentioned in Annexure III.

Meetings of the Central Board

The Bank's Central Board meets a minimum of six times a year. During the year 2010-11, **ten** Central Board Meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the directors are as under :

Table : Dates & Attendance of Directors at Board Meetings during 2010-11

No. of Meetings held : 10 **Dates of the Meetings : 14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.03.2011, 31.03.2011**			
Shri O.P. Bhatt, Chairman, Shri R. Sridharan, Managing Director & GE (A&S) & Shri S. Venkatachalam, Director attended all the ten Meetings. Dates of attendance of other Directors are as below :			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/ election/ during incumbency**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	**5**	**4**	**14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010**
Dr. Ashok Jhunjhunwala	**10**	**8**	**05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011**
Shri Dileep C. Choksi	**10**	**8**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011**
Shri D. Sundaram	**10**	**8**	**14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 31.3.2011**
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)*	**5**	**5**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010**
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)*	**5**	**5**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010**
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	**8**	**8**	**14.05.2010, 05.06.2010, 16.06.2010, 12.08.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011**
Dr. Rajiv Kumar	**10**	**7**	**14.05.2010, 05.06.2010, 12.08.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011**
Shri Ashok Chawla (upto 31.1.2011)	**8**	**4**	**16.06.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011,**
Smt. Shyamala Gopinath	**10**	**8**	**14.5.2010, 05.06.2010, 17.09.2010, 08.11.2010, 19.12.2010, 22.1.2011, 16.3.2011,31.3.2011**
Shri G.D. Nadaf (w.e.f. 4.11.2010)	**5**	**5**	**08.11.2010, 19.12.2010, 22.01.2011, 16.3.2011, 31.3.2011**
Shri Shashi Kant Sharma (w.e.f. 18.2.2011)	**2**	**1**	**16.3.2011**

*** Communication received from Govt. of India on 21.9.2010.**

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की क्षमता में आने वाले किसी भी मामले पर कार्य कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 के खंड (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या 54	
निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों की संख्या
1. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष	52
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)	27
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)	51
4. डॉ. अशोक झुनझुनवाला	18
5. श्री दिलीप सी. चौकसी	29
6. श्री एस. वैंकटाचलम	45
7. श्री डी. सुंदरम	24
8. डॉ. देवा नंद बलोधी (15.9.2010 तक)	19
9. प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	15
10. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	23
11. डॉ. राजीव कुमार	10
12. श्री अशोक चावला (31.1.2011 तक)	02
13. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	12
14. श्री जी. डी. नडाफ (4.11.2010 से)	13
15. श्री शशि कान्त शर्मा (18.2.2011 से)	–

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों और भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड ने सात समितियाँ गठित की हैं जैसे लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी समिति और बोर्ड की पारिश्रमिक समिति। यह समितियाँ बोर्ड स्तरीय व्यवसाय करने में प्रभावी व्यवसायगत सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें से प्रमुख क्षेत्र हैं- लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में सामान्यत: तिमाही अंतराल पर आयोजित होती हैं ताकि नीतिगत मामलों और/या प्रमुख निष्पादन की समीक्षा की जा सके। इन समितियों द्वारा बैंक के उच्च कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्यवृत्त और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 9 मई 2009 को किया गया था। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होने पाए।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है।यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(ख) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

Executive Committee of the Central Board

The Executive Committee of the Central Board (ECCB) is constituted in terms of Section 30 of the SBI Act, 1955. The State Bank of India General Regulations (46 & 47) provide that, subject to the general or special directions of the Central Board, ECCB may deal with any matter within the competence of the Central Board. ECCB consists of the Chairman, the Managing Directors, the Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), and all or any of the other Directors *who are normally residents* or may for the time being be present *at any place within India where the meeting is held*. The ECCB meetings are held once every week. The details of attendance of ECCB Meetings during the year 2010-11 are as under :

Table : Attendance of ECCB Meetings during 2010-11

Total No. of Meetings : 54	
Directors	**No. of ECCB meetings**
1. Shri O.P. Bhatt, Chairman	52
2. Shri S.K. Bhattacharyya, M.D. (upto 31.10.2010)	27
3. Shri R. Sridharan, MD & GE (A&S)	51
4. Dr. Ashok Jhunjhunwala	18
5. Shri Dileep C. Choksi	29
6. Shri S. Venkatachalam	45
7. Shri D. Sundaram	24
8. Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	19
9. Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	15
10. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	23
11. Dr. Rajiv Kumar	10
12. Shri Ashok Chawla (upto 31.1.2011)	02
13. Smt. Shyamala Gopinath	12
14. Shri G.D.Nadaf (w.e.f. 4.11.2010)	13
15. Shri Shashi Kant Sharma (w.e.f. 18.2.2011)	–

Other Board Level Committees:

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations, 1955 and Govt./RBI/SEBI guidelines, the Central Board has constituted seven Board Level Committees viz. Audit Committee, Risk Management Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹ 1 crore and above), Customer Service Committee, Technology Committee & Remuneration Committee of the Board. These Committees provide effective professional support in the conduct of Board level business in key areas like Audit & Accounts, Risk Management, resolution of Shareholders'/Investors' grievances, Fraud Review and Control, Review of Customer Service and redressal of customer grievances, Technology Management and Payment of Incentives to Executive Directors. While the Remuneration Committee approves, once in a year, payment of incentives to wholetime Directors, based on Govt. of India guidelines, the other Committees meet periodically, once in a quarter generally, to deliberate on policy issues and/or review domain performance, as per the calendar of reviews approved by the Central Board. The Committees also call external specialists, besides drawing upon the services of top executives from the Bank, as and when needed. The minutes and proceedings containing brief reports on the discussions held at the meetings of the Committees are placed before the Central Board.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted on 27th July 1994 and last re-constituted on the 9th May 2009. The ACB functions as per RBI guidelines and complies with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement to the extent that they do not violate the directives/guidelines issued by RBI.

Functions of ACB

(a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank, and follow-up on the statutory/external audit, compliance of RBI inspection. It also appoints Statutory Auditors of the Bank and review their performance from time to time.

(b) ACB reviews the Bank's financial, Risk Management, IS Audit Policies and Accounting

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति विशेषीकृत एवं अत्यधिक बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश।
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र ।
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन।
- घोष और जिलानी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से मासिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और विस्तृत (लांग फार्म) लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है।

गठन एवं वर्ष 2010-11 के दौरान उपस्थिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सात सदस्य होते हैं, इनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संविधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तिथियाँ और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या	**: 11**		
बैठकों की तिथियाँ	**: 16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**		
निदेशकों की उपस्थिति की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :			
निदेशक का नाम	**नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे**	**तिथियाँ**
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	**6**	**6**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010**
श्री आर. श्रीधरन	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
श्री दिलीप सी. चौकसी	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
श्री एस. वैंकटाचलम	**11**	**10**	**13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	**11**	**7**	**16.4.2010, 29.06.2010, 16.09.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
श्री अशोक चावला (31.1.2011 तक)	**10**	**—**	**—**
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	**10**	**8**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010,13.01.2011, 21.01.2011**
श्री शशि कान्त शर्मा (18.2.2011से)	**1**	**—**	**—**

Policies/systems of the Bank to ensure greater transparency.

(c) ACB reviews the internal inspection/audit plan and functions in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also, especially, focuses on the follow up of :

- KYC-AML Guidelines;
- Major areas of housekeeping;
- Compliance of Clause 49 and other guidelines issued by SEBI from time to time;
- Status of implementation of Ghosh and Jilani Committee recommendations.

(d) It obtains and reviews monthly reports from the Compliance Department in the Bank.

(e) ACB follows up on all the issues raised in RBI's Annual Financial Inspection Reports under Section 35 of Banking Regulation Act, 1949 and Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors and other Internal Audit Reports. It interacts with the external auditors before the finalisation of the annual/quarterly financial accounts and reports.

A formal 'Audit Charter' or 'Terms of Reference' laid down by the Central Board, in addition to those under RBI guidelines, is in place.

Composition & Attendance during 2010-11

The ACB has seven members of the Board of Directors, including two whole time Directors, two official Directors (nominees of GOI and RBI), and three non-official, non-executive Directors. Meetings of the ACB are chaired by a non-executive Director. The constitution and quorum requirements, as per RBI guidelines, are complied with meticulously. During the year, eleven meetings of ACB were held to review the various matters connected with the internal control, systems and procedures and other aspects as required in terms of RBI guidelines.

Table : Dates of the Meetings of ACB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 11 **Dates of the Meetings : 16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**			
Dates of attendance of Directors are as below :			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/ election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	**6**	**6**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010**
Shri R. Sridharan	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Shri Dileep C. Choksi	**11**	**10**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Shri S. Venkatachalam	**11**	**10**	**13.05.2010, 29.06.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Dr. Ashok Jhunjhunwala	**11**	**7**	**16.4.2010, 29.06.2010, 16.09.2010, 30.12.2010, 13.01.2011, 21.01.2011, 8.3.2011**
Shri Ashok Chawla (upto 31.1.2011)	**10**	**—**	**—**
Smt. Shyamala Gopinath	**10**	**8**	**16.04.2010, 13.05.2010, 10.08.2010, 21.08.2010, 16.09.2010, 03.11.2010,13.01.2011, 21.01.2011**
Shri Shashi Kant Sharma (w.e.f. 18.2.2011)	**1**	**—**	**—**

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई जिसमें 6 सदस्य थे। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 29.4.2010, 26.8.2010,28.10.2010, 24.2.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	3	3	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010
श्री आर. श्रीधरन	4	3	29.4.2010, 26.8.2010, 24.2.2011
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	2	28.10.2010, 24.2.2011
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
डॉ. राजीव कुमार	3	1	28.10.2010

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (**एसआइजीसीबी**) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 दिसम्बर 2010 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें पाँच सदस्य उपस्थिति हुए थे और बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई। समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
श्री आर. श्रीधरन	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
डॉ. देवा नंद बलोधी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
श्री डी. सुंदरम	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
प्रो.मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
श्री एस. वैंकटाचलम (19.12.2010 से)	2	2	24.12.2010, 24.2.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी (19.12.2010 से)	2	1	24.12.2010

Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board (RMCB) was constituted on the 23rd March 2004, to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee was last reconstituted on the 9th May 2009 with six members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. RMCB meets a minimum of four times a year, once in each quarter. During 2010-11, four meetings of the RMCB were held.

Table : Dates of the Meetings of RMCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S K Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	3	3	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010
Shri R. Sridharan	4	3	29.4.2010, 26.8.2010, 24.2.2011
Dr. Ashok Jhunjhunwala	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
Shri Dileep C. Choksi	4	2	28.10.2010, 24.2.2011
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	4	4	29.4.2010, 26.8.2010, 28.10.2010, 24.2.2011
Dr. Rajiv Kumar	3	1	28.10.2010

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

In pursuance of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange, Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (**SIGCB**) was formed on the 30th January 2001, to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of interest on bonds/declared dividends, etc. The Committee was last reconstituted on the 19th December 2010 with five members and is chaired by a non-executive Director. The Committee met four times during 2010-11 and reviewed the position of complaints.

Table : Dates of the Meetings of SIGCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
Shri R. Sridharan	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
Shri D. Sundaram	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 24.12.2010, 24.2.2011
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010
Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 19.12.2010)	2	2	24.12.2010, 24.2.2011
Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 19.12.2010)	2	1	24.12.2010

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) **331**

उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया - **निरंक**

लंबित शिकायतों की संख्या : **निरंक**

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

श्री श्यामल सिन्हा, महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति (**एससीबीएमएफ**) का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निराकरण उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 19 दिसम्बर 2010 को पुनर्गठित किया गया जिसमें छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	2	2	04.06.2010, 30.09.2010
श्री आर. श्रीधरन	4	3	04.06.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी	4	3	30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
श्री एस. वैंकटाचलम	4	4	04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
डॉ. देवा नन्द बलोधी (15.9.2010 तक)	1	1	04.06.2010
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	1	—	—
श्री डी. सुंदरम	4	2	30.9.2010, 11.12.2010
डॉ. राजीव कुमार (19.12.2010 से)	1	1	16.3.2011

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था । यह समिति पिछली बार 19 दिसम्बर 2010 को पुनर्गठित की गई। समिति के छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

Number of shareholders' complaints received so far (during the year): **331**

Number not solved to the satisfaction of shareholders: **NIL**

Number of Pending Complaints: **NIL**

Name and designation of Compliance officer:

Shri Shyamal Sinha, General Manager (Compliance)

Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹ 1 crore and above)

The Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (₹ 1 crore and above) (**SCBMF**) was constituted on the 29th March 2004. The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Committee was last reconstituted on the 19th December 2010 with six members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. The Committee met four times during 2010-11.

Table : Dates of the Meetings of SCBMF held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011			
Name of the Director	**No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure**	**No. of Meetings attended**	**Dates**
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	2	2	04.06.2010, 30.09.2010
Shri R. Sridharan	4	3	04.06.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
Shri Dileep C. Choksi	4	3	30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
Shri S. Venkatachalam	4	4	04.06.2010, 30.09.2010, 11.12.2010, 16.3.2011
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	1	1	04.06.2010
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	1	—	—
Shri D. Sundaram	4	2	30.9.2010, 11.12.2010
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 19.12.2010)	1	1	16.3.2011

Customer Service Committee of the Board

The Customer Service Committee of the Board (CSCB) was constituted on the 26th August 2004, to bring about ongoing improvements on a continuous basis in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee was last reconstituted on the 19th December 2010 with six members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. During the year 2010-11, four meetings of the Committee were held.

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4 बैठकों की तिथियाँ : 29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (31.10.2010 तक)	3	3	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010
श्री आर. श्रीधरन	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
डॉ. देवा नन्द बलोधी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी (15.9.2010 तक)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
श्री एस. वैंकटाचलम	4	3	29.4.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
श्री दिलीप सी. चौकसी (19.12.2010 से)	1	1	7.2.2011
डॉ. राजीव कुमार (19.12.2010 से)	1	—	—

बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति (टीसीबी) गठित की गई। यह समिति सूचना प्रौद्योगिकी पूंजी खर्च (आइटी केपेक्स) हेतु सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान करती है और उसके उपयोग की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है जिसमें प्रमुख आइटी परियोजनाएं, सूचना सुरक्षा और व्यवसाय निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की स्थिति भी शामिल है। वार्षिक रूप से प्रौद्योगिकी लैन्डस्केप और आइटी योजना का अनुमोदन भी करती है। पिछली बार यह समिति 9 मई 2009 को पुनर्गठित की गई। समिति के छह सदस्य हैं तथा एक गैर

तालिका : वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5 बैठकों की तिथियाँ : 16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010 & 7.3.2011			
निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे	तिथियाँ
श्री एस. के. भट्टाचार्य (upto 31.10.2010)	3	3	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010
श्री आर. श्रीधरन	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
डॉ. अशोक झुनझुनवाला	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरूचा (24.2.2011 तक)	4	4	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010
श्री डी. सुंदरम	5	2	16.4.2010, 26.8.2010
डॉ. राजीव कुमार	5	1	7.3.2011

Table : Dates of the Meetings of CSCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 4 Dates of the Meetings : 29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011			
Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure	No. of Meetings attended	Dates
Shri S. K. Bhattacharyya (upto. 31.10.2010)	3	3	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010
Shri R. Sridharan	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
Dr. Deva Nand Balodhi (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
Prof. Md. Salahuddin Ansari (upto 15.9.2010)	2	2	29.4.2010, 27.8.2010,
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	4	4	29.4.2010, 27.8.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
Shri S. Venkatachalam	4	3	29.4.2010, 27.10.2010, 7.2.2011
Shri Dileep C. Choksi (w.e.f. 19.12.2010)	1	1	7.2.2011
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 19.12.2010)	1	—	—

Technology Committee of the Board

The Technology Committee of the Board (TCB) was constituted on 26th August 2004, for tracking the progress of the Bank's IT initiatives. The Committee accords 'in principle' sanction for IT Capital Expenditure (IT Capex) and review its utilisation on quarterly basis together with status of implementation of major IT projects, information security and Business Continuity plan. It also approves Technology Landscape and IT plan annually. The Committee was last reconstituted on the 9th May 2009 with six members and is chaired by a non-executive Director. The Committee met five times during 2010-11.

Table : Dates of the Meetings of TCB held & Attendance of Directors during 2010-11

Meetings held : 5 Dates of the Meetings : 16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010 & 7.3.2011			
Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/election/ during tenure	No. of Meetings attended	Dates
Shri S. K. Bhattacharyya (upto 31.10.2010)	3	3	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010
Shri R. Sridharan	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
Dr. Ashok Jhunjhunwala	5	5	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010, 7.3.2011
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (upto 24.2.2011)	4	4	16.4.2010, 26.8.2010, 23.10.2010, 23.12.2010
Shri D. Sundaram	5	2	16.4.2010, 26.8.2010
Dr. Rajiv Kumar	5	1	7.3.2011

कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की पांच बैठकें हुई।

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशियों के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 9 मई 2009 को किया गया था। इस समिति के चार सदस्य हैं जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक - डॉ. अशोक झुनझुनवाला एवं श्री एस. वेंकटचलम सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा 31.3.2010 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशियों की जांच-पड़ताल तथा उन का भुगतान करने की संस्तुति की गई।

स्थानीय बोर्ड

प्रत्येक केन्द्र में जहाँ पर बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2011 को ग्यारह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और अन्य तीन स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

वार्षिक महासभा में उपस्थिति:

वर्ष 2009-10 की वार्षिक महासभा 16 जून 2010 को आयोजित की गई जिसमें 7 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं - श्री ओ. पी. भट्ट, श्री आर. श्रीधरन, डॉ. देवा नन्द बलोधी, डॉ. (श्रीमती) वसंत भरूचा, श्री दिलीप सी. चौकसी, श्री एस. वैंकटाचलम और प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी।

वार्षिक महासभाएँ

बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2009-10 की वार्षिक महासभा 16 जून 2010 को, वर्ष 2008-09 की 19 जून 2009 को, वर्ष 2007-08 की 11 जून 2008 को, वर्ष 2006-07 की 25 जून 2007 को, वर्ष 2005-06 की 30 जून 2006 को, वर्ष 2004-05 की 30 जून 2005 को तथा वर्ष 2003-04 की 9 जुलाई 2004 को आयोजित की गई । ये सभी सभाएं, मुंबई में आयोजित की गईं।

बोर्ड के नए पूर्णकालिक निदेशकों का बायोडाटा

श्री प्रतीप चौधरी ने 7 अप्रैल 2011 का बैंक के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, कारपोरेट बैंकिंग, कोष तथा परिचालनों के अलावा कनाडा में कार्य करने का प्रचुर एवं विविध प्रकार का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक (विदेश स्थित कार्यालय), पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और चेन्नई मंडल के मुख्य महाप्रबंधक के पदों पर कार्य किया।

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर ने 7 अप्रैल 2011 को बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की तथा इस समय प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें कोष, ऋण तथा कारपोरेट बैंकिंग के अलावा बहरीन में कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। इसके पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग) तथा चन्डीगढ़ मंडल में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।

श्री ए. कृष्ण कुमार ने 7 अप्रैल 2011 को बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की तथा इस समय प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें ऋण, परिचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विशेषज्ञता के अलावा शिकागो, अमरीका में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले वे मुख्य महाप्रबंधक, मध्य कारपोरेट समूह तथा पटना मंडल में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।

श्री दिवाकर गुप्ता ने 7 अप्रैल 2011 को बोर्ड की सदस्यता ग्रहण की तथा इस समय प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें परिचालन, ऋण तथा प्रणाली में कार्य का प्रचुर अनुभव होने के साथ-साथ पेरिस में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इससे पूर्व वे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एसबीआई कार्ड एंड पेमेन्टस सर्विसेज लिमि., मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुंबई मंडल तथा मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके हैं।

Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee was constituted on 22nd March 2007, for evaluating the performance of Whole Time Directors of the Bank in connection with the payment of incentives, as per the scheme advised by Government of India in March 2007. The Committee was last reconstituted on 9th May 2009. The Committee has four members consisting of (i) the Government Nominee Director, (ii) the RBI Nominee Director and (iii) two other Directors – Dr Ashok Jhunjhunwala and Shri S. Venkatachalam. The Committee scrutinised and recommended payment of incentives to whole time Directors for the year ended 31.03.2010.

Local Boards

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations 1955, at every centre where the Bank has a Local Head Office (LHO), Local Boards / Committees of Local Boards are functional. The Local Boards exercise such powers and perform such other functions and duties delegated to them by the Central Board. As on 31st March 2011, Local Boards at eleven LHOs and Committees of the Local Boards at the remaining three LHOs were functional. The minutes and proceedings of the meetings of Local Boards/ Committees of Local Boards are placed before the Central Board.

Attendance of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting for the year 2009-10, held on the 16th June 2010, was attended by 7 directors, viz., Shri O.P. Bhatt, Shri R, Sridharan, Dr. Deva Nand Balodhi, Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha, Shri Dileep C. Choksi, Shri S. Venkatachalam and Prof. Md. Salahuddin Ansari.

Annual General Meetings

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for 2009-10 was held on the 16th June 2010, for 2008-09 on the 19th June 2009, for 2007-08 on the 11th June 2008, for 2006-07 on the 25th June 2007, for 2005-06 on the 30th June 2006, for 2004-05 on the 30th June 2005 and for 2003-04 on the 9th July 2004. All these meetings were held at Mumbai.

Bio-data of the New Whole-time Directors on the Board

Shri Pratip Chaudhuri joined the Board as **Chairman** of the Bank on the 7th April 2011. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Group Executive (International Banking). He has rich and varied experience covering International Banking, Credit, Corporate Banking, Treasury and Operations, besides overseas experience in Canada. He was earlier posted as Chief General Manager (Foreign Offices), Managing Director, erstwhile State Bank of Saurashtra and Chief General Manager, Chennai Circle.

Shri Hemant G. Contractor joined the Board on the 7th April 2011 and is currently the **Managing Director & Group Executive (International Banking).** Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Chief Financial Officer. He has rich background in Treasury, Credit and Corporate Banking, besides overseas experience in Bahrain. He was earlier posted as Dy. Managing Director & Group Executive (Corporate Banking) and Chief General Manager, Chandigarh Circle.

Shri A Krishna Kumar joined the Board on the 7th April 2011 and is currently the **Managing Director & Group Executive (National Banking)**. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director (Information Technology). He has rich domain expertise in the areas of Credit, Operations and IT, besides overseas experience at Chicago, USA. He has earlier worked as Chief General Manager, Mid Corporate Group and Chief General Manager, Patna Circle.

Shri Diwakar Gupta joined the Board on the 7th April 2011 and is currently the **Managing Director & Chief Financial Officer**. Prior to this appointment, he was Deputy Managing Director & Group Executive (National Banking). He has rich exposure in Operations, Credit and Systems, besides overseas experience at Paris. He has earlier worked as CEO, SBI Cards & Payment Services Ltd., Chief General Manager, State Bank of Patiala and Chief General Manager, Mumbai Circle.

बैठक शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक शुल्क अदा किया जाता है। निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 5000 तथा बोर्ड स्तरीय समिति की एक बैठक के लिए ₹ 2500 बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है। तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2010-11 में संदत्त वेतन व भत्ते

	मूल वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	प्रोत्साहन ₹	अन्य/बकाया ₹	कुल पारिश्रमिक ₹
अध्यक्ष श्री ओ. पी. भट्ट (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,27,200.00	6,00,000.00	1,54,906.00	21,42,106.00
प्रबंध निदेशक श्री एस. के. भट्टाचार्य (01.04.2010-31.10.2010)	5,60,000.00	2,46,842.40	5,00,000.00	2,13,409.33	15,20,251.73
श्री आर. श्रीधरन (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,26,480.00	5,00,000.00	2,20,621.00	21,07,101.00

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों, आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्त्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया गया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की 'सचेतक (व्हिसलब्लोयर)' योजना को अंगीकार किया है जिसमें किसी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य स्थल पर या कहीं अन्य किए गए दुर्भावपूर्ण कार्य या अनैतिक बैंकिंग व्यवहार की सूचना उच्च प्राधिकारियों को देते हुए 'मुखबिर' के रूप में कार्य करने वाले स्टाफ सदस्य को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

बैंक ने स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है - बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों या निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर रहीं हों।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएँ बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

Sitting Fees

The remuneration of the whole-time Directors and the sitting fees paid to the non-executive Directors for attending the meetings of the Board / Committees of the Board are as prescribed by GoI from time to time. The Directors are given a sitting fee of ₹ 5,000/- for attending every Central Board meeting and ₹ 2,500/- for attending a meeting of a Board-level Committee. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Directors of the Bank and GoI Nominee / RBI Nominee Directors. Details of sitting fees paid during the year 2010-11 are placed in Annexure-IV.

Salary and Allowances paid to the Chairman and Managing Directors in 2010-11.

	Basic ₹	DA ₹	Incentives ₹	Others/ Arrears ₹	Total Remuneration ₹
Chairman Shri. O. P. Bhatt (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,27,200.00	6,00,000.00	1,54,906.00	21,42,106.00
Managing Directors Shri. S. K. Bhattacharyya (01.04.2010-31.10.2010)	5,60,000.00	2,46,842.40	5,00,000.00	2,13,409.33	15,20,251.73
Shri R. Sridharan (01.04.2010-31.03.2011)	9,60,000.00	4,26,480.00	5,00,000.00	2,20,621.00	21,07,101.00

Disclosure :

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

The Bank has adopted the "Whistleblower" scheme of the CVC, which protects any staff acting as "informer" by bringing to the notice of the higher authorities of the Bank any acts of malafides or unethical banking practices adopted by an employee in his work place or elsewhere.

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing/Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India Act 1955, the Rules and Regulations made thereunder, and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive directors' compensation, the appointment, re-appointment of the Statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India Act, SBI General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में हैं। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

बैंक में सेबी/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कारपोरेट अभिशासन के कार्यान्वयन की समीक्षा निदेशकों की आंतरिक समिति द्वारा की गई । समिति ने इस संबंध में विस्तृत सिफारिशें की जिनका अनुमोदन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया गया। सुधार के उपायों जिसमें बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी-वार निदेशकों का प्रकटीकरण करना और बैंक के मुख्य महाप्रबंधकों से आचार संहिता प्राप्त करने जैसी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा चुका है।

निदेशकों को सामयिक गतिविधियों से अद्यतन रखने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं :

(i) दिसम्बर 2010 के दौरान दिल्ली में इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स ऑफ इन्डिया द्वारा आयोजित वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के स्वतंत्र निदेशकों की इंटरेक्टिव बैठक में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दो निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया गया जो चार्टर्ड अकाउन्टन्ट हैं। इस बैठक में संगामी लेखा-परीक्षा, लांग फॉर्म लेखा परीक्षा समीक्षा और चार्टर्ड अकाउन्टन्टों की भूमिका जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई।

(ii) जयपुर में 18 दिसम्बर 2010 को यूरोमनी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में युनाइटेड किंगडम के एक स्वतंत्र परामर्शदाता श्री रिचर्ड फ्लावेल द्वारा निदेशकों को जोखिम प्रबंधन पर प्रेजन्टेशन दिया गया।

(iii) सम्मिश्रित स्वामित्व संरचना वाली बड़ी इकाइयों का वित्तपोषण करते समय कानूनी पहलुओं संबंधी एक प्रेजन्टेशन 31 मार्च 2011 को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष एक अग्रणी कानूनी फर्म द्वारा दिया गया।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2010-11 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बेंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं।

Compliance with Bank's Code of Conduct

The Directors on the Bank's Central Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2010-11. Declaration to this effect signed by the Chairman is placed in Annexure-V. The Code is posted on the Bank's website.

Developments during the year

An in-house Committee of Directors reviewed the implementation of Corporate Governance principles in the Bank and made comprehensive recommendations which have been approved by the Central Board. Measures for improvement including disclosures of company-wise directorships of the Directors in the Bank's Annual Report and obtaining the Code of Conduct from Chief General Managers of the Bank recommended by the Committee have since been implemented.

In an effort to keep the Directors contemporised, the Bank took the following initiatives during the year :

(i) Two directors on the Audit Committee of the Board, Chartered Accountants by profession, were deputed to an Interactive Meeting of Officials of Ministry of Finance, Reserve Bank of India & Independent Directors on the Boards of Banks covering aspects like Concurrent Audit, LFAR and Role of Chartered Accountants in Banking Industry, organised by the Institute of Chartered Accountants of India at Delhi during December 2010.

(ii) A presentation on Risk Management, organised by Euromoney, was made by Mr. Richard Flavell, an independent UK based Consultant, to the Directors at Jaipur on 18th December 2010.

(iii) A presentation covering legal aspects of financing large conglomerates with complex ownership structures was made to the Central Board by a leading law firm on 31st March 2011.

Means of Communication

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2010-11 were published in the leading newspapers of the country. The results were also displayed on the Bank's website (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com). The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. The Bank's website displays, interalia, official news releases of the Bank, the Bank's Annual Report and Half-yearly report, and details of various product offerings. Every year, after the annual and half-yearly results are declared, a Press-meet is held on the same day, in which the Chairman makes a presentation and answers the queries of the media. This is followed by another meeting to which a number of investment analysts are invited. Details of the Bank's performance are discussed with the analysts in the meeting. After declaring quarterly results, press notifications are issued.

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा दिनांक 20.06.2011, समय अपराह्न 3.30 बजे, स्थान : "वाई.बी.चह्वान सेंटर", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग; नरीमन पॉइंट मुंबई-400 021.

वित्तीय कैलेंडर	:	1.4.2010 से 31.3.2011
बहीबंदी की तिथि	:	24.05.2011 से 28.05.2011
₹ 30/- प्रति शेयर की दर से लाभांश का भुगतान करने की तिथि	:	13.6.2011
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	:	भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों के लाभांशों का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी किया जा रहा है।
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	:	मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई (जीडीआर लंदन शेयर बाजार (एलएसई) में सूचीकृत हैं) लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टाक कोड	:	500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई)
शेयर-अंतरण प्रणाली	:	शेयर अंतरण की कार्रवाई कागज़ के रूप में की जाती है तथा निर्धारित समयावधि में इसे शेयरधारक को लौटा दिया जाता है। एक स्वतंत्र निजी कंपनी सचिव द्वारा अर्ध-वार्षिक अंतरण लेखा परीक्षा तथा सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार तिमाही सचिव लेखा परीक्षा नियमित रूप से की जाती है।
पंजीयक और अंतरण एजेंट तथा उनका पता	:	मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट बी-5 एमआईडीसी, पार्ट बी, क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093
बोर्ड फोन नं.	:	022-6671 2151 से 2156 तक (पूर्वाहन 10.00 बजे अपराहन 1.00 बजे तथा अवराहन 2.00 बजे से 4.30 बजे तक)
डायरेक्ट नं.	:	022-6671 2198/99 022-6671 2201 से 6671 2203 तक
ई-मेल पता	:	sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	:	(022) 6671 2204
पत्र व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, केंद्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, वर्मा चेंबर्स, 11 होम्जी स्ट्रीट, हॉर्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई-400 001
टेलीफोन	:	(022) 2263 3462 से 2263 3468 तक
फैक्स	:	(022) 2263 3470 और 2263 3471
ई-मेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in

बकाया जीडीआर

31.03.2011 को 90,52,680 (जीडीआर) से संबंधित 1,81,05,360 शेयर

शेयरों को कागज़रहित बनाना और चलनिधि

रूप	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की %	फोलियो संख्या	कुल फोलियो का %
कागज़ रूप में	11608358	1.83%	227524	31.22%
कागज़ रहित	623390633	98.17%	501205	68.78%
कुल	634998991	100.00%	728729	100.00%

General Shareholder Information:

The Annual General Meeting of the Shareholders: Date: 20.06.2011, Time 3.30 p.m. Venue: "Y. B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Financial Calendar	:	01.4.2010 to 31.03.2011
Period of Book Closure	:	24.05.2011 to 28.05.2011
Dividend @ ₹ 30/- per Share Payment Date	:	13.06.2011
Electronic Clearing	:	Dividend on SBI shares is also being paid through various electronic modes
Listing on Stock Exchanges	:	Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, New Delhi, Chennai and National Stock Exchange, Mumbai. [GDRs listed on London Stock Exchange (LSE)] Listing fees have been paid upto date to all Stock Exchanges including LSE.
Stock Code	:	500112 (BSE) SBIN (NSE)
Share Transfer System	:	Share transfers in Physical form are processed and returned to the shareholders within stipulated time. Half yearly Transfer Audit and Quarterly Secretarial Audit in terms of the Listing Agreements are regularly carried out by an independent private Company Secretary.
Registrar and Transfer Agent and their Address	:	M/s Datamatics Financial Services Limited, Unit : State Bank of India, Plot B-5, MIDC, Part B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093.
Board Phone Numbers	:	022-6671 2151 to 56 (between 10 a.m. to 1.00 p.m. and 2 p.m. to 4.30 p.m.)
Direct Numbers	:	022-6671 2198 / 99 022-6671 2201 to 6671 2203
E-mail address	:	sbi_eq@dfssl.com
Fax	:	(022) 6671 2204
Address for Correspondence	:	State Bank of India Shares & Bonds Department, Central Office, 3rd Floor, Varma Chambers, 11 Homji Street, Horniman Circle, Fort, Mumbai 400 001.
Telephones	:	(022) 2263 3462 To 2263 3468
Fax	:	(022) 2263 3470 & 2263 3471
E-mail address	:	gm.snb@sbi.co.in

Outstanding Global Depositry Receipts (GDR)

The Bank had 90,52,680 GDRs as on 31.03.2011 representing 1,81,05,360 shares.

Dematerialization of Shares and Liquidity

Mode	No. of Shares	% of Total Shares	Folio Nos.	% of Total Folios
Physical	11608358	1.83%	227524	31.22%
Demat	623390633	98.17%	501205	68.78%
Total	634998991	100.00%	728729	100.00%

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स / एनएसई निफ्टी निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का 31.03.2011 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण 5.09% और एनएसई निफ्टी में 4.06% था।

तालिका : बाजार भाव आंकड़े (बंद भाव)

मास	बीएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का भाव (₹)		बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-10	2318.80	2015.00	18047.86	17276.80
मई-10	2348.80	2138.00	17536.86	15960.15
जून-10	2402.50	2201.00	17919.62	16318.39
जुलाई-10	2519.90	2254.40	18237.56	17395.58
अगस्त-10	2884.00	2511.00	18475.27	17819.99
सितंबर-10	3268.00	2738.75	20267.98	18027.12
अक्तूबर-10	3322.00	3077.00	20854.55	19768.96
नवम्बर-10	3515.00	2777.00	21108.64	18954.82
दिसंबर-10	3172.00	2655.70	20552.03	19074.57
जनवरी-11	2852.45	2468.80	20664.80	18038.48
फरवरी-11	2813.40	2478.60	18690.97	17295.62
मार्च-11	2888.00	2523.55	19575.16	17792.17

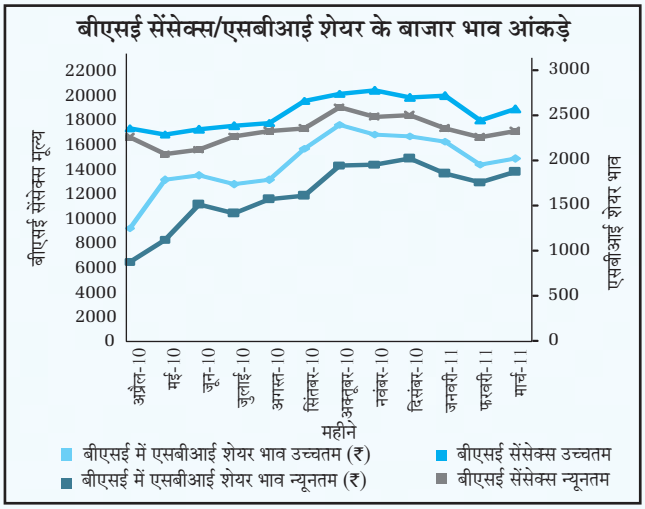

तालिका : बाजार भाव आंकड़े (बंद भाव)

मास	एनएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का भाव (₹)		एनएसई निफ्टी	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-10	2318.90	2012.00	5399.65	5160.90
मई-10	2349.00	2138.00	5278.70	4786.45
जून-10	2630.10	2202.10	5366.75	4961.05
जुलाई-10	2522.00	2253.55	5477.50	5225.60
अगस्त-10	2884.80	2512.00	5549.80	5348.90
सितंबर-10	3274.70	2737.25	6073.50	5403.05
अक्तूबर-10	3324.85	3076.00	6284.10	5937.10
नवम्बर-10	3515.00	2775.00	6338.50	5690.35
दिसंबर-10	3173.60	2655.50	6147.30	5721.15
जनवरी-11	2852.00	2463.10	6181.05	5416.65
फरवरी-11	2814.75	2476.30	5599.25	5177.70
मार्च-11	2888.50	2520.45	5872.00	5348.20

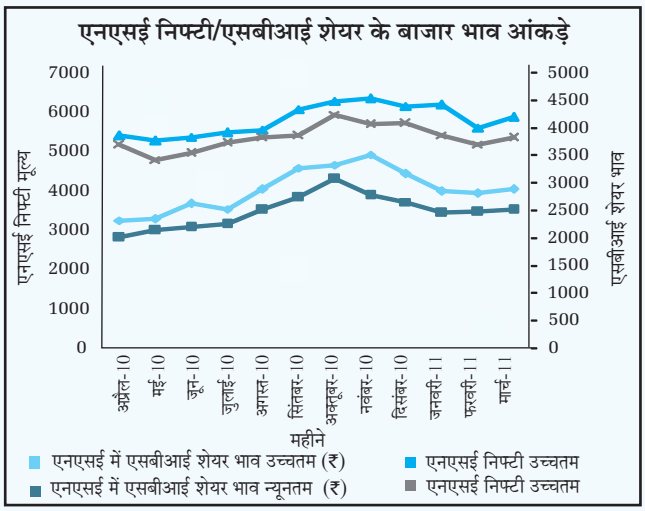

Share Price Movement:

The movement of the share price and the BSE Sensex / NSE Nifty is presented in the following Tables. The market capitalisation of the Bank's shares had a weightage of 5.09% in BSE Sensex and 4.06% in NSE Nifty as on 31.03.2011.

Table : Market Price Data
(Closing Values)

Months	SBI's Share Price at BSE (₹)		BSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-10	2318.80	2015.00	18047.86	17276.80
May-10	2348.80	2138.00	17536.86	15960.15
Jun-10	2402.50	2201.00	17919.62	16318.39
Jul-10	2519.90	2254.40	18237.56	17395.58
Aug-10	2884.00	2511.00	18475.27	17819.99
Sep-10	3268.00	2738.75	20267.98	18027.12
Oct-10	3322.00	3077.00	20854.55	19768.96
Nov-10	3515.00	2777.00	21108.64	18954.82
Dec-10	3172.00	2655.70	20552.03	19074.57
Jan-11	2852.45	2468.80	20664.80	18038.48
Feb-11	2813.40	2478.60	18690.97	17295.62
Mar-11	2888.00	2523.55	19575.16	17792.17

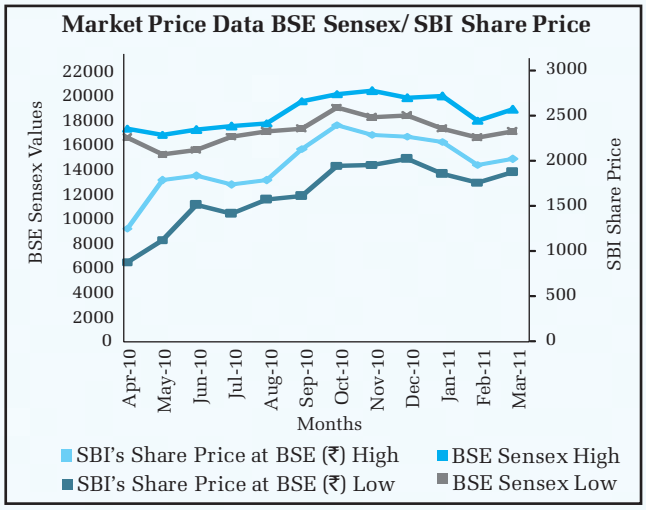

Table : Market Price Data
(Closing Values)

Months	SBI's Share Price at NSE (₹)		NSE NIFTY	
	High	Low	High	Low
Apr-10	2318.90	2012.00	5399.65	5160.90
May-10	2349.00	2138.00	5278.70	4786.45
Jun-10	2630.10	2202.10	5366.75	4961.05
Jul-10	2522.00	2253.55	5477.50	5225.60
Aug-10	2884.80	2512.00	5549.80	5348.90
Sep-10	3274.70	2737.25	6073.50	5403.05
Oct-10	3324.85	3076.00	6284.10	5937.10
Nov-10	3515.00	2775.00	6338.50	5690.35
Dec-10	3173.60	2655.50	6147.30	5721.15
Jan-11	2852.00	2463.10	6181.05	5416.65
Feb-11	2814.75	2476.30	5599.25	5177.70
Mar-11	2888.50	2520.45	5872.00	5348.20

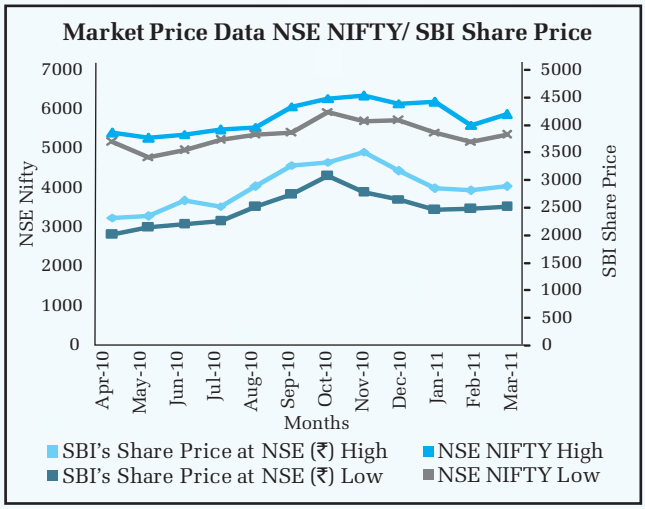

निवेशकों की आवश्यकताएं

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक के कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण व्यवस्थित विभाग - शेयर एवं बांड विभाग - और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बांड कक्ष हैं। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों को या पंजीयक और अंतरण-एजेंटों को मिली हों, तुरंत ध्यान देकर उनका निवारण किया जाता है। इस कार्य की निगरानी शीर्ष प्रबंधन स्तर पर की जाती है।

तालिका : शेयरधारिता का वितरण
(31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)

शेयरधारक	धारित शेयरों का प्रतिशत
भारत की राष्ट्रपति	59.40%
अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी कारपोरेट निकाय) अनिवासी भारतीय / जीडीआर)	15.77%
राज्य सरकारें / बीमा कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाएं / बैंक	12.20%
म्यूचुअल फंड / सरकारी कंपनियाँ / भारतीय यूनिट ट्रस्ट	4.22%
देश की कंपनियाँ / निजी कारपोरेट निकाय / न्यास	2.69%
निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	5.72%
शेयरधारकों की संख्या	728729
कागज़ रहित शेयरों की संख्या (62,33,90,633)	98.17%

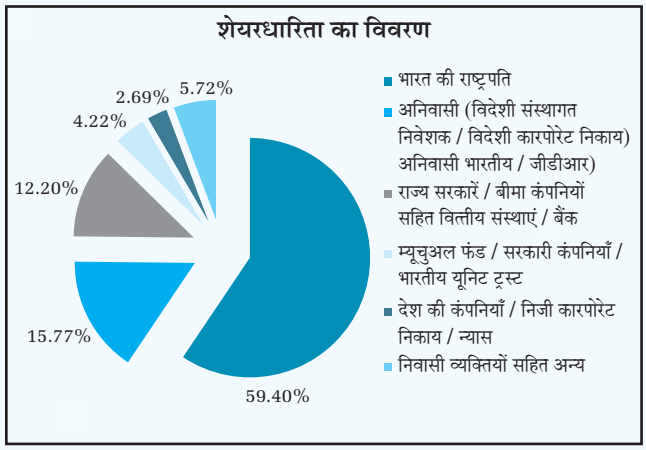

तालिका : बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक
(31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)

धारक का नाम	शेयर धारिता (%)
1. भारत की राष्ट्रपति	59.40
2. भारतीय जीवन बीमा निगम एवं समूह	11.26
3. दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (जीडीआर)	2.85
4. एचएसबीसी बैंक (मॉरिशस) लि. खाता सिनामन कैपिटल लि.	2.13
5. गोल्डमैन एसएसीएचएस इन्वेस्टमेंट्स (मॉरिशस) लि.	0.84
6. एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड मॉरिशस लि.	0.69
7. यूरोपेसिफिक ग्रोथ फंड	0.51
8. भारतीय साधारण बीमा निगम	0.49
9. कॉफथेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट. लि.	0.48
10. द हार्टफोर्ड कैपिटल अप्रीसिएशन फंड	0.45

Investors' Needs:

To meet various requirements of the investors regarding their holdings, the Bank has a full-fledged Department - Shares & Bonds Department - at Mumbai and Shares & Bonds Cells at the 14 Local Head Offices. The investors' grievances, whether received at the Banks offices or at the office of the Registrar and Transfer Agents, are redressed expeditiously and monitored at the Top Management level.

Table : Distribution of Shareholdings (As on 31-03-2011)

Shareholders	% of shares held
President of India	59.40%
Non-residents (FIIs / OCBs / NRIs / GDRs)	15.77%
State Govt.(s) / Financial Institutions including Insurance Companies / Banks	12.20%
Mutual Funds/ Government Companies / UTI	4.22%
Domestic companies / Pvt. Corporate Bodies / Trusts	2.69%
Others including Resident individuals	5.72%
No. of Shareholders	728729
No. of Shares in dematerialised form (62,33,90,633)	98.17%

Distribution of shareholdings

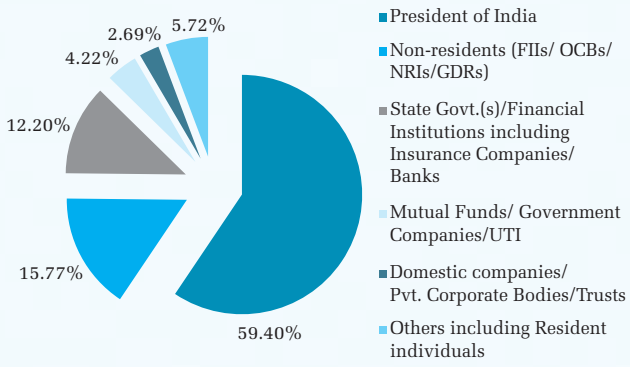

Table : Top Ten Shareholders of the Bank (As on 31-03-2011)

Name of the Holder	Equity held (%)
1. President of India	59.40
2. Life Insurance Corp. of India & Group	11.26
3. The Bank of New York Mellon (GDRs)	2.85
4. HSBC Bank (Mauritius) Limited A/C Cinnamon Capital Limited	2.13
5. Goldman SACHS Investments (Mauritius) Ltd.	0.84
6. HSBC Global Investment Funds A/c HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited	0.69
7. Europacific Growth Fund	0.51
8. General Insurance Corporation of India	0.49
9. Copthall Mauritius Investment Ltd.	0.48
10. The Hartford Capital Appreciation Fund	0.45